न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– नीता वसीटा आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08 / 2019	06.02.2019	02.09.2024

1. पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. गिर्राज पुत्र रामनारयण जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोंटा राजस्थान

प्रतिवादी

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षिप्त में वाद इस प्रकार है कि माल ग्राम छापोल पटवार हल्का बालुपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खसरा न0 587 रकबा 11.36 है0 भूमि सिलिंग सिवायचक राजस्व रिकार्ड दर्ज है इसी प्रकार ग्राम छापोल की खसरा न0 576 रकबा 33.42 है0 भूमि खाता सरकार राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। जिस पर वादीगण निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहै।

यह कि आवंटन कार्यक्रम दिनांक 28.07.2003 के तहत मुकाम बालुपा मे वादीक्रम 1 पप्पू पुत्र रामचन्द्र को ग्राम छापोल की खसरा न0 587 रकबा 11.36 है0 मे से 1.18 है0 कृषि भूमि 4000/– रू प्रति बिधा की दर से कुल कीमत 29500/– रू में 1.18 है भूमि आवंटित की गई और आंवटी पप्पू को आवंटित भूमि रकबा 1.18 है0 पर दखल देने का आदेश फरमाया गया। वादी क्रम 1 पप्पू द्वारा आवंटित भूमि 1.18 है0 की सम्पूर्ण रकम 29500/– रू0 पुस्तक संख्या 008077 रसीद संख्या 00031 से दिनांक 10.12.2010 को राजकोष में जमा करवादी गई है।

यह कि आवंटन कार्यक्रम 28.07.2003 के तहत मुकाम बालुपा मे वादी क्रम 2 गिर्राज को ग्राम छापोल की खसरा नण् 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.0 है0 भूमि 4000/– रु. प्रति बीघा की दर से कुल 25000/– रु0 में आवंटित की गई और आवंटी वादी गिर्राज को आवंटित भूमि 1.00 है भूमि पर दखल देने का आदेश फरमाया गया वादी गिर्राज द्वारा आवंटित भूमि की सम्पूर्ण रकम पुस्तक सख्यां 008077 रसीद संख्या 00039 से दिनांक 17.03.2011 को राजकोष में जमा करवादी गई है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

यह कि आवंटन कार्यक्रम दिनांक 28.07.2003 के तहत मुकाम बालुपा में ग्राम छापोल की खसरा सख्या 576 रकबा 33.42 है0 मे से वादी क्रम 3 भरत को 1.00 है0 भूमि 4000 /– रू0 प्रति बिधा की दर से कुल 25000/– रू0 मे आवंटित की गई आवंटित भूमि पर आवंटी वादी क्र0 3 भरत को दखल देने का आदेश फरमाया गया। वादी भरत द्वारा आवंटित भूमि रकबा 1.00 है0 की सम्पूर्ण रकम पुस्तक सख्या 008077 रसीद संख्या 30 से दिनांक को राजकोष जमा करवादी गई।

यह कि वादीगण वाद पत्र में वर्णित आवंटित भूमि पर पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है और आवंटन होने के बाद से लगातार काबिज काश्त है। वादीगण को आवंटित की भूमि की सम्पूर्ण रकम राजकोष में जमा करवाने के परिणाम स्वरूप भी आज तक वाद पत्र में वर्णित वादीगण को आवंटित भूमि पर राजस्व रेकॉर्ड मे वादीगण/आवंटीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया गया हैं। जब कि प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि आवंटित की गई भूमि की सम्पूर्ण रकम राजकोष में जमा होने के आवंटीगण का नाम उनको आवंटित की गई भूमि रकबा पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

यह कि वादीगण द्वारा वाद पत्र मे वर्णित आवंटित भूमि रकबा पर अपना नाम दर्ज करवाने बाबत कई बार प्रतिवादी से मौखिक व लिखित रूप मे निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद भी आवंटीगण/वादीगण का नाम आवंटित भूमि पर अमलदरामद करने की कार्यवाही आज तक नहीं की गई इस लिए वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि आवंटित की गई भूमि पर अपना नाम माननीय न्यायालय की सहायता ये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाये ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस करवायी गई प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया जो अग्रलिखित है:–

1. यह कि वाके माल ग्राम छापोल पटवार हल्का बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में माल ग्राम छापोल में आराजी खसरा न0 587 रकबा 11.36 है0 किस्म बीड राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम–छापोल में खसरा नं0 576 रकबा 33.42 है0 किस्म बीड, वर्तमान जमाबन्दी 2076–2079 अनुसार राजस्व रिकार्ड में सिवायचक खाता सरकार में दर्ज है जो सही है।

2. आवंटन कार्यक्रम दिनांक 28.07.2023 के तहत मुका बालूपा में वादीक्रम 1 पप्पू पुत्र रामचन्द्र, जाति गुर्जर निवासी–छापोल को खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.18 है0 कृषि भूमि 4000/– रु0 प्रति बीघा की दर से कुल कीमत 29500/– रु0 में 1.18 है0 भूमि आवंटित की गयी है। जिसकी रसीद बुक संख्या 008077 रसीद सं0 00031 दिनांक 10.12.2010 को 29500/– रु0 राजकोष में जमा करा दी है। जो सही है।

3. आवंटन कार्यक्रम 28.07.2003 के तहत मुकाम बालुपा मे वादी क्रम 2 गिर्राज पुत्र राम नारायण जाति गुर्जर ग्राम छापोल की खसरा नं0 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.00 है0 भूमि 4000/– रु. प्रति बीघा की दर से कुल 25000/– रु0 में 1.00 है0 भूमि आवंटित की गई जिसकी रसीद बुक सख्यां 008077 रसीद सख्या 00039 को 25000/– रु0 राजकोष में जमा करवादी गई है। जो सही है।

4. आवंटन कार्यक्रम दिनांक 28.07.2003 के तहत मुकाम बालुपा में ग्राम छापोल में वादी क्रम 3 भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल को ग्राम छापोल की खसरा सख्या 576 रकबा 33.42 है0 मे से को 1.00 है0 भूमि 4000 /– रू0 प्रति बीघा की दर से कुल 25000/– रू0 मे आवंटित की गई है। जिसकी राशि रसीद बुक संख्या 008077 रसीद सख्या 00030 से दिनांक 10.12.2010 को 25000/– रु0 राजकोष में जमा करा दी गई है। जिसकी रसीद की प्रति फोटो कॉपी साथ में संलग्न है। जो सही है।

5. प्रार्थीगण गिर्राज पुत्र रामनारायण, भरत पुत्र रामचन्द्र, पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, निवासी छापोल के आवंटन होने के बाद से उक्त आराजी पर लगातार काश्त कर रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया गया हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के प्राप्त जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगणों को उक्त आराजी आवंटन कैंप दिनांक 28.07.2003 के तहत मुकाम बालूपा में खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.18 हैक्टेयर भूमि पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल, खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.00 हैक्टेयर गिर्राज पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल व खसरा नंबर 576 रकबा 33.42 है0 में से 1.00 हैक्टेयर भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल को 4000/– रु. प्रति बीघा के हिसाब से भूमि आवंटित हुई थी जिसकी आवंटन राशि आवंटियों द्वारा क्रमशः रसीद बुक संख्या 008077 की रसीद संख्या 00031 से 29500/– , 00039 से 25000/– रु0 एवं 00030 से 25000/– रु0 आवंटियों द्वारा जमा करवा दिए है जिसकी रसीदे संलग्न है एवं आवंटित भूमियों पर आवंटन दिनांक से ही आवंटियों का कब्जा काश्त है और वर्तमान में भी आवंटित भूमि पर आवंटियों का ही कब्जा काश्त है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में खसरा संख्या 576 रकबा 33.42 है0 किस्म बीड़ एवं खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक खाता सरकार दर्ज है।

मुताबिक आवंटन आदेश आवंटियों के नाम उक्त आवंटित भूमि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा आवंटन आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पैरोकार सरकार में भी उक्त विवादित आवंटित भूमि पर वादीगणों का कब्जा काश्त होना बताया गया है। सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि वादीगणों को ग्राम छापोल की आराजी खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.18 हैक्टेयर भूमि पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल, खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.00 हैक्टेयर गिर्राज पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल व खसरा नंबर 576 रकबा 33.42 है0 में से 1.00 हैक्टेयर भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगणों के पक्ष में स्वीकार किया जाकर ग्राम बालूपा में खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.18 हैक्टेयर भूमि पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल, खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से1.00 हैक्टेयर गिर्राज पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल व खसरा नंबर 576 रकबा 33.42 है0 में से 1.00 हैक्टेयर भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगणों के कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीन करते हुए रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2-9-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
08/2019	06.02.2019	02.09.2024

1. पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. गिर्राज पुत्र रामनारयण जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासीगण छापोल तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोंटा राजस्थान

प्रतिवादी

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू [illegible] मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगणों के पक्ष में स्वीकार किया जाकर ग्राम बालूपा में खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.18 हैक्टेयर भूमि पप्पू पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल, खसरा नंबर 587 रकबा 11.36 है0 में से 1.00 हैक्टेयर गिर्राज पुत्र रामनारायण जाति गुर्जर निवासी छापोल व खसरा नंबर 576 रकबा 33.42 है0 में से 1.00 हैक्टेयर भरत पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी छापोल को खातेदार घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी मुर्तिब की जावे।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 29/24 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		

उपखण्ड अधि[कारी]
इटावा, जिला को[टा]

क्रमनामा			हुक्रमनामा		
ुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा